(41)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1837-एक/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.02.2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 730/अपील/2009-10.

काशीराम वल्द कढोरा
निवासी ग्राम मेहगंवा, तहसील गैरतगंज,
जिला रायसेन, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. मुन्नालाल वल्द स्व. अजुद्धीप्रसाद नाई
   निवासी ग्राम उचेहरा जमनिया,
   तहसील सिलवानी, जिला रायसेन
2. बलवीर वल्द स्व. अजुद्धीप्रसाद नाई
   निवासी ग्राम मेहगंवा, तहसील गैरतगंज,
   जिला रायसेन, म.प्र.
3. रामबाई बेवा रामसिंह नाई (पुत्रवधु स्व. अजुद्धीप्रसाद)
   निवासी ग्राम उचेहरा जमनिया,
   तहसील सिलवानी, जिला रायसेन
4. ताराबाई पत्नी बलिराम नाई
   पुत्री स्व. अजुद्धीप्रसाद
   निवासी ग्राम पिपरिया, तह. सिलवानी,
   जिला रायसेन, म.प्र.
5. नरेन्द्र कुमार पुत्र भैयालाल कुर्मी
   निवासी ग्राम मेहगंवा, तहसील गैरतगंज,
   जिला रायसेन, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री डी.डी. मेघानी, अभिभाषक, आवेदक

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 2 से 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/6/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 22.02.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम मेहगंवा पटवारी हल्का नं. 25 तहसील गैरतगंज में भूमि सर्वे नं. 106, 143, 144, 145, 147, 208/61/1, 222/147 कुल किता 7 रकबा 0.036, 1.263, 3.308, 0.142, 0.978, 1.857, 0.688 कुल रकबा 4867 हैक्टेयर भूमि आवेदक काशीराम के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी, किंतु आवेदक को वर्ष 2008-09 के राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपि प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का नाम अंकित है तथा आवेदक का नाम मात्र ख.क्र. 61 रकबा 5.236, ख क्र. 148 रकबा 1.214 कुल किता 2 रकबा 6440 हैक्टेयर पर ही नाम अंकित है, जबकि वादग्रस्त पूरी भूमि 12.545 हैक्टेयर अर्थात् 31 एकड़ पर आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित होना था। अत: राजस्व अभिलेखों में गलत प्रविष्टियों को सुधारने के लिए आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे तहसीलदार ने आदेश दिनांक 23.03.2010 से स्वीकार करते हुए अनावेदकगण का नाम राजस्व अभिलेख से कम कर आवेदक का नाम अंकित करने का आदेश पारित किया। तहसील न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गैरतगंज के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 24.06.2010 से अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22.02.2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 6 नियम 5 सी.पी.सी. 1908 का परिशीलन नहीं किया। यह प्रावधान सी.पी.सी. (संशोधन) अधिनियम 1999 (1999 का 46) से नियम 5 विलोपिता किया

गया है और अधिसूचना क्र. एस.ओ. 603 (ई) दिनांक 06 जून 2002 द्वारा 1 जुलाई 2002 से लागू किया गया है। तहसील न्यायालय में अनावेदकगण ने दिनांक 17.08.09 को आदेश 6 नियम 5 सी.पी.सी. अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, उस समय यह प्रावधान नहीं था। ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय में अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत यह आवेदन पत्र प्रचलनशील न होने से स्वमेव निरस्त योग्य था। इस विधिक बिंदु पर विचार किये बिना पारित आदेश निरस्ती योग्य है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीधीन आदेश पारित करने के पूर्व ग्राम मेहगंवा की वादग्रस्त भूमि से संबंधित नामांतरण पंजी क्र. 44 पर दिनांक 10.11.57 को तत्कालीन तहसीलदार द्वारा किये गये नामांतरण प्रमाणीकरण का न्यायिक परिशीलन नहीं किया, जिसके अनुसार ''मूल भूमिस्वामी कढोरा की मृत्यु होने पर पटवारी द्वारा दर्ज की थी एवं उसके वारिसान पुत्रगण काशीराम व कलवा दर्शाये गये थे। इन दोनों को ही कलवा का वैध वारिस मानते हुए तहसीलदार द्वारा 10.11.57 को नामांतरण किया गया था। यदि अनावेदक क्र. 1, 2, 4 का पिता एवं अनावेदक क्र. 3 का ससुर अजुद्धी भी मूल भूमिस्वामी कढोरा का पुत्र होता तो, उक्त नामांतरण में उसका नाम भी सम्मिलित होता। यदि अजुद्धी उक्त नामांतरण आदेश से परिवेदित था तो उसे सक्षम न्यायालय में निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत करना था, जो उसके द्वारा न करने के कारण उक्त नामांतरण आदेश दिनांक 10.11.1957 अंतिम हो गया था'' इस विधिक बिंदु को नजर अंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगरानीअधीन आदेश अवैध होकर निरस्ती योग्य है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीअधीन आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक द्वारा उनके समक्ष द्विती अपील के इस बिंदु पर भी न्यायिक विचार नहीं किया कि तहसील न्यायालय में अनावेदकगण ने नामांतरण पंजी क्र. 5 की प्रविष्टि दिनांक 24.04.1966 एवं अन्य कोई सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये थे। अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करते समय धारा 41 नियम 27 सी.पी.सी. के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया था और न ही इस पर आवेदक को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया था। ऐसे अभिलेख रिकॉर्ड पर लेने के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी का यह विधिक दायित्व था कि वे उक्त अभिलेख को रिकॉर्ड पर लेने के संबंध में आदेश पारित करते, लेकिन उनके द्वारा यह विधिक कार्यवाही न करते हुए प्रथम अपील में दिनांक 24.06.2010 को अवैध आदेश पारित किया था, जिसे यथावत रखकर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा उनके समक्ष अपील में प्रस्तुत इस कानूनी बिंदु पर भी न्यायिक विचार नहीं किया कि राजस्व अभिलेखों में अनाधिकृत तौर पर फर्जी अवैधानिक प्रविष्टि कर दी जाती है तो राजस्व न्यायालय अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करके उसे सुधार सकता है क्योंकि ऐसी अवैधानिक प्रविष्टिसे कोई स्वत्व अर्जित नहीं होते है। फर्जी प्रविष्टि कराकर लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को लाभ से वंचित किया जाना न्यायोचित है तथा वास्तविक विधि की दृष्टि से हकदार व्यक्ति को उसका हक दिया जाना न्यायिक कृत्य है। इस कानूनी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का यह विधिक दायित्व था कि अनावेदकगण के पिता का वर्ष 1966 में जो अवैधानिक रूप से नामांतरण किया गया था, उसे निरस्त करते एवं कालांतर में उस नामांतरण के परिप्रेक्ष्य में अनावेदकगण के पक्ष में हुआ नामांतरण भी निरस्त करते, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक दायित्व का पालन न करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो कि निरस्त योग्य है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय से इस बिंदु पर भी सकारात्मक न्यायिक विचार नहीं किया कि अनावेदक क्र. 2 बलवीर एवं 3 रामबाई के पति रामसिंह ने उक्त वादग्रस्त भूमि में से ख.क्र. 208/61 रकबा 2.671 हैक्टेयर में से 1.214 हैक्टेयर का विक्रय दिनांक 05.10.2001 को रजिस्टर्ड बेनामे से अनावेदक क्र. 5 के पिता भैयालाल को विक्रय कर दी है एवं वर्तमान में यह भूमि भैयालाल की मृत्यु के उपरांत अनावेदक क्र. 5 के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है। आवेदक की इस वादग्रस्त भूमि को उक्त दोनों द्वारा अनाधिकृत तौर पर आवेदक की जानकारी एवं सहमति के बिना विक्रय किया गया है। इस कारण यह विक्रय और उसके आधार पर हुए नामांतरण भी विधि शून्य होने के कारण निरस्त योग्य है। इस परिप्रेक्ष्य में भी अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन आदेश निरस्ती योग्य है।

(6) अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य एवं बिंदु पर भी सकारात्मक न्यायिक विचार नहीं किया कि आवेदक एवं अनावेदक क्र. 1, 2, 4 के पिता एवं अनावेदक क्र. 3 के ससुर अजुद्धीप्रसाद के मध्य वादग्रस्त भूमि का बंटवारा कब हुआ एवं दोनों के खाते पृथक-पृथक कब हुए? अनावेदकगण से उक्त बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त किये बिना पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। इस परिप्रेक्ष्य में भी अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन आदेश निरस्त योग्य है।

तर्कों के समर्थन में उनके द्वारा 2005 आर.एन. 212 (राजस्व मण्डल), 1998 आर.एन. 296, 1998(II) MPWN 165 (उच्च न्यायालय), 1998 आर.एन. 206 एवं 1997 आर.एन. 319 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं। अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय

अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को पुन:स्थापित करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 1 व 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ अनावेदक क्र. 2 से 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अवैध क्षेत्राधिकारिता से परे धारा 116 की शक्तियों का दुरूपयोग एवं अनावेदकगण के पक्ष में वर्ष 1991 में किये गये वैधानिक नामांतरण आदेश तथा वर्ष 1966 में किये गये अजुद्धी के नामांतरण आदेश को निरस्त करने एवं आवेदक का इस आदेश की आड़ में वादग्रस्त भूमि पर नाम दर्ज करने का आदेश जो अपील न्यायालय की शक्तियों का उपयोग करते हुए किया गया है, वह अधिकारितावि‍हीन एवं अवैधानिक होने से निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि कर अपर आयुक्त द्वारा भी वैधानिक आदेश पारित किया गया है। तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा ताराबाई जो ग्राम पिपलिया/सियरमऊ तहसील सिलवानी निवासरत है, उसके पते पर कोई सूचना पत्र जारी ही नहीं किया है। ताराबाई के सूचना पत्र को ग्राम मेहगंवा निवासी बलवीर पर गलत तामील कराकर ताराबाई पर तामील मानी है, जो अवैध है। अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के उक्त त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त कर उचित आदेश पारित किया गया है, जिसको अपर आयुक्त द्वारा भी यथावत रखा गया है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण में आवेदक को यह सिद्ध करना था कि किस वर्ष में उसका नाम काटकर अनावेदक का नाम दर्ज किया गया है। उस वर्ष के खसरे में संशोधन के संबंध में कोई टीप अंकित है या नहीं, तहसील न्यायालय द्वारा यह देखना चाहिए था तथा उस वर्ष या उसके आगे पीछे के वर्षों की नामांतरण पंजियों की नकलें आवेदक से लेना थी, जो कि नहीं ली गईं। अनावेदक को भी अपने नाम भूमि कैसे आई यह सिद्ध करने का अवसर देना था, जो नहीं दिया गया है तथा प्रविष्टि को खारिज कर दिया गया है, जो अवैधानिक है। अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार दो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2013 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर